

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2312
19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया चरण-॥ योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी विनिर्माण के लिए नई उत्पादन क्षमता

2312 श्री तेजवीर सिंह:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में संशोधित फेम इंडिया चरण-॥ और आगामी ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों तथा बैटरी विनिर्माण के लिए नई उत्पादन क्षमता स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ऑटोमोबाइल व मशीनरी सेक्टर में उन्नत रोबोटिक्स एवं हरित प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय भारत को वैश्विक ऑटो हब बनाने हेतु एकीकृत "फ्युचर मॉबिलिटी पार्क्स" स्थापित करने की कोई नई राष्ट्रीय योजना बना रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फेम चरण-॥ स्कीम, जो 31.03.2024 को समाप्त हुई, में इलेक्ट्रिक वाहनों या बैटरी बनाने के लिए नई उत्पादन क्षमता लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, सरकार ने 09.06.2021 को देश में 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम "नेशनल प्रोग्राम ॲन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज" अधिसूचित की। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटा एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है। इस स्कीम के तहत, अब तक एक लाभार्थी फर्म ने 1 गीगावॉट घंटा की संस्थापित क्षमतायुक्त एक गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण संयंत्र लगाया है। इसने प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख): एमएसएमई मंत्रालय एसआईडीबीआई (कार्यान्वयन एजेंसी) के ज़रिए "एमएसई-ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम (एमएसई-जीआईएफटी स्कीम)" लागू कर रहा है। एमएसएमई जीआईएफटी स्कीम का मुख्य उद्देश्य एमएसई को ऑटोमोबिल क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों और इसकी चार्जिंग अवसंरचना की प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए रियायती दर पर संस्थागत वित्तपोषण तक पहुँचने में मदद करना और उन्हें हरित और संधारणीय व्यापार संचालन में बदलने में मदद करना है। यह स्कीम 2025-26 तक वैध है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
